जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(गोपनीय शाखा)

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाने के संबंध में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित एवं मान्नीय कुलपति द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रपत्र –

1 केवल सैद्धान्तिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का ही अवलोकन करवाया जायेगा ।

2 आवेदक विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी ।

3 आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेब साईट पर उपलब्ध करवा दिये जायेंगे ।

4 आवेदक प्रपत्र के साथ रू.1000/– प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से शुल्क (Non refundable) जमा करवाने के पश्चात् ही उत्तर पुस्तिका देखने के लिये पात्र होगा ।

5 केवल उन्हीं विद्यार्थियों को स्वयं की उत्तर पुस्तिका दिखाई जायेगी जिनके स्पष्ट रूप से भरे हुए आवेदन पत्र मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् तथा पुनर्मूल्यांकन के आवेदन की तिथि समाप्त होने के दस (10) दिन के अन्दर–अन्दर प्राप्त होगे ।

(यदि कोई आवेदक मुख्य परीक्षा के परीणाम घोषित होने के पश्चात उक्त नियम के तहत निर्धारित तिथि से उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने हेतु तथा साथ ही पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करता है तो उस स्थिति में आवेदक को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के पश्चात ही उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करवाया जा सकेगा) ।

6 **विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका अवलोकन हेतु एक परीक्षा में एक ही बार आवेदन कर सकेंगे।**
(मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा या पुनर्मूल्यांकन मे से कोई एक में)

7 जिन विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन किया है केवल वह विद्यार्थी ही पुनर्मूल्यांकन का परिणाम आने के दस (10) दिन के अन्दर–अन्दर उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के लिये आवेदन कर सकेंगे ।

8 जिन परीक्षा परिणामों में पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं है, उन परीक्षाओं के विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के दस (10) दिन तक उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के लिये आवेदन कर सकेंगे ।

9. निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे ।

10. कोई भी विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका देखने के लिये पात्र नहीं होगा।

11. उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के लिये विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी दिनांक एवं समय पर अधिकतम दस मिनट का समय प्रदान किया जायेगा ।

12. निर्धारित समय पर आवेदक के अनुपस्थित रहने पर उसके आवेदन को निस्तारित माना जायेगा।

13. छात्र को उत्तर पुस्तिका के अवलोकन से पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष उस परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा । सक्षम अधिकारी के पूर्णरूप से आश्वस्त होने के पश्चात् ही विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका दिखाई जायेगी ।

14. उत्तर पुस्तिका अवलोकन स्थल पर पेन, बॉलपेन, पेंसिल, अन्य लेखन/स्टेशनरी सामग्री, मोबाईल, कैमरा व अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

15. आवेदक विद्यार्थी के साथ उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के लिये अभिभावक/अध्यापक/वकील अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्तर पुस्तिका अवलोकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

16. आवेदक विद्यार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका अवलोकन के समय उत्तर पुस्तिका को फाड़े जाने पर अथवा अन्य कोई नुकसान पहुंचाने की अवस्था में उसके खिलाफ पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी ।

17. उत्तर पुस्तिका में अमूल्यांकित प्रश्न होने अथवा गणना में त्रुटि होने की अवस्था में विश्वविद्यालय द्वारा उसमें सुधार कर दिया जायेगा । परीक्षा परिणाम में परिवर्तन करने के लिए विश्वविद्यालय अधिकृत होगा।

18. विद्यार्थी को परीक्षक द्वारा दिये गये मूल्यांकन अंको पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी न ही परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंको में संशोधन किया जावेगा ।

18. उत्तर पुस्तिका अवलोकन के पश्चात् आवेदक इस हेतु प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि उसने आवेदन के अनुरूप उत्तरपुस्तिका का अवलोकन कर लिया है । विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु एक अवलोकन पंजिका/पुस्तिका का संधारण किया जायेगा ।

19. यह दिशा निर्देश एवं व्यवस्था वर्ष–2015 एवं उसके पश्चात् होने वाली परीक्षाओं के लिए लागू होंगे।

20. **किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जोधपुर ही रहेगा ।**

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

(गोपनीय शाखा)

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिका अवलोकन हेतु

vkonu&i=

(आवेदक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के हस्तलेख में भरा जाये)

(प्रपत्र भरने से पूर्व कृपया दि ाा–निर्दे ाों का अवलोकन करें)

1. विद्यार्थी का नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. पंजीयन संख्या ....

4. परीक्षा ....

5. रोल नम्बर..

6. महाविद्यालय का नाम..

7. परीक्षा का परिणाम ....उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण ....

8. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि..

vkond dk uohure ikliksV lkbt QksVks Lo;a dk gLrk{kfjr

9 क्या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है ? हॉं / नहीं

यदि हॉं तो फीस जमा करवाने की रसीद / चालान संख्या———————— —— दिनांक————————रूपये———————————

(रसीद / चालान की प्रति संलग्न करें)

10. अवलोकन की जाने वाली उत्तर पुस्तिका का विवरण

1) विषय .... 2) विषय.............................. 3) विषय ....

11. विद्यार्थी का हस्तलिखित नमूना ....

12. वि ववविद्यालय की रसीद संख्या ....दिनांक..........................रूपये..........................

13. पत्र व्यवहार हेतु पता..

....

14. मोबाइल नम्बर ....

मै ं .... पुत्र / पुत्री श्री ....

जय नारायण व्यास वि ववविद्यालय के नियम एवं नियमन जो कि दि ाा–निर्दे ाों मे द ार्ये गये है ं की पालना के लिये प्रतिबद्ध रहूंगा / रहूंगी।

vkond fo|kFkhZ ds gLrk{kj

....

dk;kZy; mi;ksx gsrq

(उत्तर पुस्तिका अवलोकन के प चात् भरा जाय)

प्रकरण संख्या ....

आवेदन प्राप्ति की दिनांक..

उत्तर पुस्तिका दिखाई जाने वाली दिनांक एवं समय ....

मैंने उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर लिया है।

1- gLrk{kj lEcfU/kr fyfid

uke---

(विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक)

नाम..............................

2- gLrk{kj lEcfU/kr vf/kdkjh

uke---

हस्ताक्षर

नोट–किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जोधपुर ही रहेगा ।